सं0–01 / दि0स0नि0(यो0)–06 / 2025

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

–:: संकल्प ::–

विषयः– मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) के अंतर्गत देय बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्रावधानों तथा सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एवं प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के दिव्यांगजनों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त करने के उदेश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) संचालित की गयी है। उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, वैशाखी, कैलिपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसी प्रकार चलंत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी जा रही है। बैट्री चालित ट्राईसाईकिल प्राप्त करने हेतु चलंत दिव्यांगता का न्यूनतम 60 प्रतिशत, शैक्षणिक / रोजगार स्थल से आवासन की दूरी 3 किलोमीटर एवं लाभुक को 10 वर्ष में एक बार बैट्री चालित ट्राईसाईकिल दिये जाने का प्रावधान है।

2. वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लेखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की कुल 21 श्रेणिओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से प्रावधानित उपकरणों के प्रकार, संख्या एवं प्रावधानों तथा चलंत दिव्यांगजनों को शिक्षा एवं रोजगार हेतु आवागमन की गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के वितरण हेतु निर्धारित पात्रता में आंशिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

3. उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रीपरिषद के आदेश से बैट्री चालित ट्राईसाईकिल तथा सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग के वितरण किये जाने के पूर्व के प्रावधानों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :–

पूर्व के प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
(सहायक उपकरण)	
(क) दिव्यांगजनों को आवश्यकता अनुरुप तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, वैशाखी, कैलिपर्स, कृत्रिम अंग एव अन्य सहायक उपकरण	(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लेखित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के प्रकारों एवं संख्या में वृद्धि किया

आदि का क्रय एलिम्कों से कर जिला स्तर पर वितरण करना।	जाता है।
(ख) 05 वर्ष से अधिक (चलंत दिव्यांगता के मामले में दिव्यांगजन की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक) ।	(ख) शीघ्र हस्तक्षेप (Early Intervention) के मामले में 5 वर्ष की बाध्यता नहीं होगी।
(ग) कम से कम 40 प्रतिशत।	(ग) शीघ्र हस्तक्षेप (Early Intervention) के मामले में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में भी लाभुकों को लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा ।
(घ) अधिकतम रू0 1लाख रूपये।	(घ) अधिकतम 2 लाख रूपये की वार्षिक पारिवारिक आय।
(ड़) ऑफलाईन	(ड़) ऑनलाईन। परन्तु ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन को भी संबंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से ऑनलाईन की जायेगी।
(च) कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के आवेदनों की स्वीकृति हेतु विभागीय ज्ञापांक–143 दिनांक–23.01.2008 द्वारा जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति गठित है।	(च) विभागीय ज्ञापांक–143 दिनांक–23.01.2008 द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु लाभुकों के चयन के लिए जिला स्तरपर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति यथावत रहेगी। परन्तु, रू0 15,000/– से अधिक मूल्य के सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं क्रय की स्वीकृति हेतु पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0–500 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा दी जायेगी।
(बैट्री चालित ट्राईसाईकिल)	
(क) न्यूनतम 60 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता।	(क) न्यूनतम 40 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता।
(ख) (1) वैसे दिव्यांग छात्र/छात्राएँ जिनका अवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो। (2) वैसे दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उदेश्य से बिहार	(ख) उक्त दोनों प्रावधानों को शिथिल किया जाता है।

राज्य में अपना रोजगार करते हों परिवार के कमाउ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।	
(ग) एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायेगा।	(ग) एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को 5 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायेगा।

4. इस संबंध में विभागीय अधिसूचना सं0–5722 दिनांक–27.11.2017, अधिसूचना सं0–500 दिनांक–23.06.2022 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–143 दिनांक–23.01.2008 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

5. बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्रावधानों तथा सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग के वितरण/योजना क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देश अलग से विभाग के स्तर से निर्गत की जायेगी।

6. प्रस्ताव पर संचिका सं0– 01/दि0स0नि0(यो0)–06/2025 के टिप्पणी पृ0–36/टि0 पर दिनांक–03.10.2025 को मद संख्या–62 में मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

7. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(नवीन कुमार सिंह)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01/दि0स0नि0(यो0)–06/2025–1091 पटना, दिनांक–04.10.2025
प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–01/दि0स0नि0(यो0)–06/2025–1091 पटना, दिनांक–04.10.2025
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक,

आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–01/दि0स0नि0(यो0)–06/2025–1091 पटना, दिनांक–04.10.2025

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–01/दि0स0नि0(यो0)–06/2025–1091 पटना, दिनांक–04.10.2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/X/25

सरकार के अपर सचिव